कार्यालय नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल जनपद–औरैया।

पत्रांकः– 403/न0पं0बा0अ0/2017 दिनांक– 21/04/2017

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद्द्वारा नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल औरैया के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल जनपद–औरैया में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपलब्ध धनराशि में से वेतन की धनराशि को सुरक्षित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि एवं निकाय स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण कार्यों को कराये जाने हेतु मुहरबन्द निविदायें दिनांक–**11.05.2017** को अपरान्ह 2:00 बजे तक बाबरपुर स्थित नगर पंचायत कार्यालय/अपर जिलाधिकारी महोदय के कार्यलय (मुख्यालय) ककोर में रखे निविदा बॉक्स में सील बन्द लिफाफे में डाली जायेगी। प्राप्त निविदाओं में कमांक 08 से 19 तक की निविदाओ को उसी दिन ठेकेदार के समक्ष सायं **04:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी द्वारा खोली जायेगी। कमांक 01 से 07 तक की निविदाऐं जिलाधिकारी महोदय जनपद–औरैया अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि के द्वारा खोली जावेगी। यदि उक्त दिनांक को अवकाश होता है तो उक्त निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। निविदा प्रपत्र दिनांक–**08.05.2017** (सायं 05:00 बजे) तक बाबरपुर स्थित नगर पंचायत कार्यालय में निर्धारित मूल्य जमा करके प्राप्त की जा सकती है। निविदा के साथ 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बचत पत्र के रुप में अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल औरैया के पक्ष में बंधक कराते हुये जमा करना अनिवार्य होगा। कार्य से सम्बन्धित आगणन स्पेशीफिकेशन व निविदा सम्बन्धी अन्य शर्तें किसी भी समय कार्यालय दिवस में देखी जा सकती है, और निविदा के साथ अन्य शर्तों के स्वीकरोक्ति के हस्ताक्षरयुक्त प्रारुप एवं रू0 100.00 (रुपया एक सौ मात्र) के स्टाम्प पर नोटरी हलफनामा निर्धारित प्रारुप पर संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्यों की निविदा सूचना जनपद औरैया की वेबसाइड www.auraiya.up.nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है। कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्यों का विवरण

क0	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	अग्रिम धरोहर 10 प्रतिशत धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य+ बैटकर 13.5 प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	मु0 आजाद नगर मे शीतला माता मन्दिर से जीतू के मकान होते हुये श्री किशन के मकान तथा श्री आनन्द दीक्षित के मकान से श्री अश्वनी के मकान से श्री शिव दुबे के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	1445000.00	144500	1500+203	2 माह
2	मु0 शास्त्रीनगर में श्री सुशील मिश्रा के मकान से श्री यदुनाथ सिंह होते हुये श्री नीतू गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	1277000.00	127700	1500+203	2 माह
3	मु0 शास्त्रीनगर में श्री राजुकमार दुबे के मकान से श्री इन्द्रपाल सिंह फील्ड के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	2264000.00	226400	2300+311	2 माह
4	मु0 शास्त्रीनगर में श्री जंगवेद गुर्जर के मकान से श्री खेतपाल के मकान होते हुये श्री देवेन्द्र गुर्जर के मकान से श्री रामलखन प्रजापति के मकान होते हुये श्री होरीलाल दुबे के मकान से श्री प्रेम सिंह गुर्जर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य	1573500.00	157350	1600+216	2 माह
5	मु0 फिरोजनगर में एन0एच0टू0 होन्डा एजेन्सी से श्री नीरज त्रिपाठी के मकान से श्री पिन्टू चौधरी के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	754000.00	75400	800+108	2 माह
6	मु0 फिरोजनगर में श्री छुटकन पठान के मकान से श्री जगमोहन के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	641000.00	64100	700+95	2 माह
7	मु0 गाधीनगर में कृष्णा पैथोलॉजी प्लॉट से श्री मदन के मकान व अन्य साइड इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	942000.00	94200	1000+135	2 माह
8	मु0 इस्लामनगर में श्री सुलेमान के मकान से श्री अलाउद्दीन के मकान होते हुये श्री राजा सिंह के मकान से श्री पप्पू के मकान होते हुये श्री रियाजुद्दीन के मकान से श्री सफीक के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	445000.00	44500	500+68	1 माह
9	मु0 फिरोजनगर मे श्री नाथूराम के मकान से श्री राकेश के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	333000.00	33300	350+48	1 माह

10	मु0 राजीव नगर में श्री शैलेन्द्र के मकान से तालाब तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	121000.00	12100	150+21	1 माह
11	मु0 अम्बेडकरनगर में श्री रामनारायन के मकान से रोक्सी टेलर तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य। ।	181000.00	18100	200+27	1 माह
12	मु0 पटेल नगर में श्री शिव कुमार के मकान से श्री शिव नारायन बाबा के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	376000.00	37600	400+54	1 माह
13	मु0 अम्बेडनगर में श्री राजकुमार मिश्रा के मकान से रामान्स पब्लिक स्कूल होते हुये श्री महेन्द्र सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	312000.00	31200	350+48	1 माह
14	मु0 आर्यनगर में श्री रामकिशन बाल्मीक के मकान से श्री जय प्रकाश के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	242000.00	24200	250+34	1 माह
15	मु0 आर्यनगर में श्री सरोजनी अग्रवाल के मकान से श्री मोनू अग्रवाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	232000.00	23200	250+34	1 माह
16	मु0 लक्ष्मीनगर में श्री राजेन्द्र पाठक के मकान से श्री किशन चन्द्र दुबे के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	252000.00	25200	300+41	1 माह
17	मु0 गांधीनगर में मैन रोड से लल्लू सिंह के मकान होते हुये श्री विश्राम सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	450000.00	45000	450+61	1 माह
18	मु0 आजादनगर में श्री महेश मिश्रा के मकान से श्री रंजन तिवारी के मकान तक मिटटी भराई तथा इण्टरलाकिंग सडक व नाली का निर्माण कार्य।	266000.00	26600	300+41	1 माह
19	मु0 विद्यानगर में श्री रमेश के मकान से श्री सोनू चौहान के मकान तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	273000.00	27300	300+41	1 माह
	कुल योग	1,23,79,500	12,37,950	13,200+1789	

(सुनील कुमार सिंह)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल
जनपद–औरैया।

(अशोक कुमार)
अध्यक्ष
नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल
जनपद–औरैया।

पत्र संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक...को इस आशय से प्रषित कि वह अपने पेपर में अगले अंक में प्रकाशित कर अपना बिल पांच प्रतियों के साथ कार्यालय नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल में उपलब्ध करायें।
2. जिलाधिकारी महोदय औरैया को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर जिलाधिकारी महोदय औरैया को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी औरैया की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद औरैया वेबसाइड WWW.auraiya.up.nic.in पर सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।
5. जिला सूचनाधिकारी औरैया को सूचनार्थ।
6. कार्यालय नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल औरैया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. अवर अभियन्ता न0पा0परिषद औरैया को इस आशय से नियत तिथि पर न0पं0बा0अ0 में उपस्थित रहें।

(सुनील कुमार सिंह)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल
जनपद–औरैया।

अशोक कुमार
(अशोक कुमार)
अध्यक्ष
नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल
जनपद–औरैया।

कार्यालय नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल जनपद–औरैया।

–:निविदा की अन्य शर्तें:–

1. यह कि निर्धारित तिथि में अवकाश अथवा अन्य कारण से कार्यालय बन्द रहने की स्थिति में निविदायें अगले कार्य दिवस में निर्धारित स्थान व समय पर खोली जायेंगी।
2. यह कि कार्य करने का समय स्वीकृत कार्यादेश से लागू होगा।
3. आम जनता की जानकारी हेतु कार्य प्रारम्भ कराते समय ठेकेदार को सर्वप्रथम निर्माणाधीन स्थल पर योजना का नाम, कार्य का विवरण, स्वीकृत लागत कार्य प्रारम्भ होने की तिथि तथा समाप्त होने की सम्भावित तिथि अंकित कराते हुये एक साइन बोर्ड लगवाना अनिवार्य होगा।
4. ठेकेदार को कार्यादेश के दिनांक से निहित समय में कार्य पूर्ण करना होगा। यदि समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो 500/– प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड के रुप में जमा करना होगा।
5. टेण्डर के साथ ठेकेदारों को टेण्डर फार्म एवं जमानत धनराशि अलग–अलग लिफाफे में डालनी होगी।
6. टेस्टिंग रिपोर्ट ठेकेदारों को अपने खर्चे से स्वयं कराना होगा। नगर पंचायत इसके लिये कोई भी धनराशि व्यय नहीं करेगा।
7. जो निविदादाता प्रपत्र के साथ निर्धारित अर्नेस्टमनी नहीं/कम लगायेगा उस दशा में उसका पंजीकरण/नवीनीकरण निरस्त करते हुये लगायी गयी अर्नेस्टमनी जब्त की जा सकती है। ठेकेदार को प्रत्येक कार्य की अलग–अलग जमानत धनराशि जमा करनी होगी। किसी भी सपोर्ट में फोटो कांपी मान्य नहीं होगी। न ही जमानत धनराशि को किसी भी कार्य में समायोजन किया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा ऐसा किया जाता है तो उस ठेकेदार की अन्य कार्य में लगी जमानत धनराशि जब्त करते हुये पंजीकृत निरस्त की कार्यवाही की जा सकती है।
8. निविदा प्रपत्र एवं लिफाफे पर कार्य का नाम कम संख्या, ठेकेदार का नाम के साथ निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर एवं मोहर होना आवश्यक है, यदि लिफाफे पर उक्त विवरण अंकित नही होगा तो लिफाफा अवैध माना जायेगा एवं ऐसी निविदा का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। ठेकेदार को स्वयं निविदा लेनी होगी। किसी भी प्रतिनिधि आदि को निविदा बिक्री नहीं की जायेगी तथा ठेकेदार को अपने लेटर पेड पर लिखकर निविदा फार्म लेना होगा।
9. निविदा प्रपत्र में प्रतिशत उच्च/निम्न को अंकों एवं शब्दों में लिखना आवश्यक है।
10. यदि निविदादाता ठेकेदार निर्धारित मानक के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो भा0दं0 संहिता के अन्तर्गत अपराध माना जावेगा। तथा ठेकेदार के विरुद्ध भा0दं0संहिता में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जावेगी।
11. निविदा शर्तों के विरुद्ध निविदा डालने वाले ठेकेदार की जमानती धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
12. सभी ठेकेदारों को अपने–अपने कार्य स्थल के कार्य से पूर्व एवं कार्य के मध्य तथा कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफी कराना अनिवार्य होगा, कार्य स्थल की फोटोग्राफी कार्यालय में एक–एक प्रति जमा करने के उपरान्त तथा सभी वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात शासन से समयावधि मिलने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
13. निविदा दरों में ओवर राइटिंग/कटिंग होने पर निविदा अवैध मानी जायेगी।
14. किसी भी निविदा को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
15. निविदादाताओं के निविदा में जो पता अंकित मिलेगा वही मान्य होगा और इस पते पर भेजी गयी डाक यदि किसी कारण वश डाकखाने से उसे वितरित नही हो पाती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी। तथा वह वितरित मानी जावेगी।
16. ठेकेदार द्वारा कराये जा रहे किसी कार्य निर्माण में कोई भी दैवीय आपदा घटित होती है तो सम्बन्धित ठेकेदार किसी भी विधिक कार्यवाही हेतु स्वयं उत्तरदाई होगा।
17. ठेकेदार को शासन के आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार की कोई भी शर्त मान्य न होगी।
19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी/अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल औरैया का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(सुनील कुमार सिंह)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल
जनपद–औरैया।

(अशोक कुमार)
अध्यक्ष
नगर पंचायत बाबरपुर–अजीतमल
जनपद–औरैया।

मैने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़कर/सुनकर विधवत समझ लिया है और मुझे सभी शर्तें स्वीकार एवं मान्य हैं।

दिनांक–..............................

हस्ताक्षर..............................

(नाम..............................)

पता–..............................